

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- कौडोला

प्रकरण संख्या:- 121/2025

दिनांक:- 11/1/25

उनवान

श्री महावीर पुत्र हनुमान
मीना निवा जामोडा

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का कौडोला भू. अ. नि. मगदलस एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के तहत ग्राम जामोडा प. 0 ह. 0 कौडोला को वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 15 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	<u>बैंक के नाम में</u> <u>डाकूड</u>	<u>स्टेट बैंक ऑफ</u> <u>बीकानेर 2008</u> <u>जयपुर 211291</u> <u>चौथ का बरवाड़ा</u>	<u>स्टेट बैंक ऑफ</u> <u>इंडिया 211291</u> <u>चौथ का बरवाड़ा</u>

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री महावीर पुत्र हनुमान मीना
3. रक्षित पत्रावली।

सप
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स. 0)



सप
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स. 0)